बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वत्तन विभाग।

संकल्प

दिनांक– 09/07/19

संख्या– पर्या0/वन– 33/19 8335(ई) प0व,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वत्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विगत कई दशकों से शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। शहरी वानिकी योजना का उद्वेश्य शहरी क्षेत्र की घनी आबादी को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्र में हरियाली आवरण बढ़ाकर इसे सुंदर बनाना तथा प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

2. ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से आबादी बढ़ने, योजनाबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्र का विकास नहीं होने तथा बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधा अन्तर्गत सड़क, भवन, पुल आदि बनने के क्रम में बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गये हैं और अब वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त जगह मिल पाने में कठिनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं तत्पश्चात् इसकी सुरक्षा एवं सम्पोषण में यथा अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है।

3. वर्त्तमान में विभाग द्वारा जन सहयोग से पौधारोपण किया जाता रहा है और इसकी सुरक्षा एवं सम्पोषण की जवाबदेही स्थानीय प्रशासन, परिसर के मालिक एवं सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के समूह को दिया जाता है, परन्तु पौधों की सुरक्षा एवं सम्पोषण में अपेक्षित ध्यान नहीं देने के कारण पौधारोपण की सफलता संदिग्ध हो जाती है और सफलता संतोषजनक नहीं आ रही है।

4. जलवायु परिवर्त्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शहरी क्षेत्र के वृक्षारोपण को हर हालत में सफल बनाया जाना है और पौधों से वृक्ष बनने के कन्भरसन फैक्टर को तीन वर्ष बाद न्यूनतम 60% सुनिश्चित करना है।

5. शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को सफल बनाने हेतु मुख्यालय स्तर पर विस्तार से चर्चा की गई एवं दिनांक–28.05.2019 एवं 07.06.2019 को पटना में राज्य के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित कर बिचार लिए गये। इस विषय की सम्यक रूप

से समीक्षा कर शहरी वानिकी के विभिन्न अवयवों के तहत किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन के तरीके में परिवर्त्तन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए निम्नांकित दिशानिदेश निर्गत किये जाते है:–

- शहरी वानिकी योजना का यह दिशानिर्देश इसके विभिन्न अवयवों यथाः वन महोत्सव, शहरी वानिकी, हर परिसर–हरा परिसर तथा आगम–निर्गम पथों के किनारे किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर लागू होंगे।
- वृक्षारोपण का लक्ष्य मात्र रोपित किए जाने वाले पौधों की संख्या मात्र नहीं होगा बल्कि गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण कर इसकी सुरक्षा एवं सम्पोषण कर इसे वृक्ष बनाने पर आधारित होगा।

6. <u>शहरी वानिकी योजना का प्लानिंग</u>– सभी शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वहॉ के मानचित्र को आधार मान कर योजना बनाई जाएगी। शहर में अधिक से अधिक हरियाली आवरण बढ़ाने के लिए तथा शहर के विभिन्न भागों के सुन्दरता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होगा कि अच्छी गुणवत्ता के सदाबहार तथा फूलदार पौधों का अधिक से अधिक संख्या में रोपण किया जाय इसके लिए शहरी क्षेत्र के मानचित्र पर किस सड़क के किनारे अथवा किस मोहल्ले में किन किन प्रजातियों के पौधे लगेंगे इसे पूर्व से ही इस प्रकार से निर्धारित किया जायगा कि शहर के क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के फूलदार पौधे अधिक दिखें और वह मोहल्ला या सड़क उस पौधे के नाम से भी जाना जा सके। उदाहरण के लिए गुलमोहर मोहल्ला या रोड, अमलतास मोहल्ला या रोड, जरहुल मोहल्ला या रोड, करंज मोहल्ला या रोड इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति सड़क या मोहल्ला का नाम भूल जाता है तो वहॉ के पेड़ों को याद कर यह कह सकेगा कि उसे गुलमोहर या अमलतास वाले मोहल्ले में जाना है। शहरों के इस प्रकार के ग्रीन प्लान शहरों के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन, वहॉ पूर्व से उपलब्ध पेड़–पौधे, नए पौधारोपण के लिए उपलब्ध स्थान और वहॉ के लिए उपयुक्त प्रजाति का चयन कर लिया जायगा और इसी प्लान के तहत शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं सड़कों के किनारे पौधारोपण का कार्य किया जायगा। शहरी वृक्षारोपण में मिश्रित प्रजाति का रोपण किया जायगा परन्तु स्थानीय प्रजाति के साथ फूलवाले वृक्षों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रजाति चयन के बारे में आगे की कंडिका में जानकारी दी गई है।

(ख) शहरी क्षेत्र का ग्रीन प्लान बनाने में नगर निकाय के प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद् एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ–साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी को शामिल किया जायगा। इसके अतिरिक्त नगर विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि से भी प्लान बनाने में सहयोग लिया जायगा। यह प्लान पॉच वर्षों की अवधि के लिए बनाया जायगा। पॉच वर्ष की समाप्ति के उपरांत उपलब्धि एवं समस्याओं की समीक्षा कर पुनः आगे पॉच–पॉच वर्षों के लिए प्लान बनाये जायेंगे। यह कार्य वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अन्य विभागों से समन्वय कर किया जायगा।

▶ शहरी क्षेत्रों में जितने जलाशय या अलग–अलग प्रकार के तलाब, नाले इत्यादि विभिन्न प्रकार के जल संग्रहण संरचना बने हुए हैं उन सभी के किनारे भी प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता संरक्षित करने वाले वृक्षों को लगाया जायगा।

▶ शहरी क्षेत्र के इस ग्रीन प्लान को स्थानीय नगर निकाय को भी उपलब्ध कराया जायगा तथा उनके साथ समन्वय कर यह कार्य पूरा किया जायगा। नगर निकाय यदि अपनी राशि से शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना चाहती है तो उनके द्वारा भी इसी ग्रीन प्लान के अनुसार पौधारोपण का कार्य किया जायगा। विभाग के वन प्रमंडलों द्वारा जिन स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाना है उन स्थलों की सूचना वृक्षारोपण से दो माह पहले स्थानीय नगर निकाय को उपलब्ध करा दी जायगी ताकि वे उन स्थलों पर वृक्षारोपण के लिए अपनी योजना नहीं बनावें। नगर निकाय को भी विभाग के वृक्षारोपण तकनीक की जानकारी देकर इसकी सुरक्षा एवं सम्पोषण आगामी न्यूनतम तीन वर्ष तक करने के लिए कहा जायगा ताकि उनके द्वारा लगाये गये पौधे भी वृक्ष का स्वरूप प्रदान कर सकें।

7. <u>स्थल चयनः–</u> वन महोत्सव एवं हर परिसर–हरा परिसर अन्तर्गत बड़ी जगह वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जायगी। न्यूनतम 25 से अधिक पौधारोपण हेतु स्थल उपलब्ध होने पर ही विभागीय वृक्षारोपण किया जायगा। 25 से कम पौधों का रोपण चाहने वाले संस्थानों एवं परिसर को विभागीय पौधशालाओं से मात्र पौधे आपूर्ति किए जा सकेंगे।

8. <u>शहरी वानिकी</u>:– शहरी वानिकी अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के वैसे सड़कों के चयन को प्राथमिकता दी जायगी जहॉ स्थान उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्र के सड़कों की पूरी लम्बाई ली जायगी ताकि प्रभाव दिख सके।

9. आगम–निर्गम पथः– आगम निर्गम पथ अन्तर्गत शहरी क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में निकलने वाली सड़कों के किनारे पहले जिला, द्वितीय चरण में अनुमण्डल तथा तृतीय चरण में प्रखंडों में क्रमवार वृक्षारोपण किया जाना है। शहरी क्षेत्र के बाहरी सीमा से अधिकतम पॉच किलोमीटर लम्बाई को इसमें शामिल किया जायगा।

स्थल चयन पर अन्तिम निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी के व्यक्तिगत निरीक्षण एवं सत्यापन पर होगा।

10. प्रजाति का चयन एवं पौधों के बीच दूरीः– शहरी वानिकी के विभिन्न अवयवों के तहत निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रजाति का चयन किया जायगा।

स्थान	इमारती लकड़ी एवं जैव विविधता संरक्षण वाले लम्बी उम्र के वृक्ष	सून्दर फूल वाले छायादार वृक्ष	जैवविधता संरक्षित करने वाले वृक्ष
शहरी पथ किनारे रोपण।	शीशम, गम्हार, महोगनी, सिरीश, पूत्रंजीवा, कनकचम्पा, चम्पा (20%)	अमलतास, गुलमोहर, जरहुल, छतवन, करंज, मौलश्री, जंगली खीरा, लाल फूल वाला कचनार, उजला फूल वाला कचनार, बोतल ब्रश, कनेर, छतवन (40%)	नीम, कदम्ब, जामुन, पीपल, पाकड़, गुल्लर, ऑवला, बेल (40%)
सड़क किनारे	शीशम, गम्हार, महोगोनी, सिरीश, स्टरकूलिया, कनकचम्पा (40%)	मौलश्री छतवन, गुलमोहर, अमलताश, जकरंडा (30%)	पीपल, पाकड़, गुलमोहर, जामुन, अर्जुन (30%)
वन महोत्सव	महोगनी, शीशम, सागवान, सीरिश, गम्हार, स्टरकुलिया, कनकचम्पा, चम्पा (20%)	मौलश्री अमलतास, प्लुमरिया, पेल्टोफोरम, कचनार (40%)	पीपल, पाकड़, नीम, गुलर, जामुन, बेल, कटहल (40%)
परिसर	महोगनी, शीशम, सागवान, काला शीशम, सीरिस, गम्हार आदि (40%)	गोल्डमोहर, अमलतास, जरहुल, छतवन, कचनार, प्लुमरिया, जकरंडा, पेल्टोफोरम (30%)	जमुन, आम, ऑवला, बेल, पाकड़, पीपल नीम, गूलर कदम्ब, कटहल (30%)

- प्रजाति का चयन उपर्युक्त सूची से स्थल की आवश्यकता को देखकर किया जायगा। जल जमाव वाले क्षेत्रों में जामुन एवं अर्जुन का रोपण किया जायगा। क्षेत्र विशेष में जो प्रजाति के वृक्ष पूर्व से स्थापित एवं पूर्ण विकसित हैं, उन्हें संरक्षित कर उनकी संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जायगा। उपर्युक्त सूची से बाहर के प्रजातियों के रोपण की

आवश्यकता महसूस होने पर पूर्ण औचित्य के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन संरक्षक को प्रस्ताव देकर उनकी लिखित स्वीकृति से ही ऐसा किया जा सकेगा।

- बिजली के तार के नीचे छोटे वृक्ष जरहुल, अमलतास, उजला फूल वाला कचनार लगाया जायगा।
- सड़क किनारे चौक पर या दो सड़कों के मिलान स्थल पर बड़ा स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में लम्बी आयु एवं जैव विविधता संरक्षित करने वाले छायादार वृक्ष प्रजाति यथा: पीपल, पाकड़, बरगद, नीम आदि लगाया जायगा। पुराने वृक्ष के क्राउन के नीचे पौधे नहीं लगाये जायेंगे।
- सड़क किनारे एक साथ दोनों तरफ सिमेट्रिकल रूप से एक ही प्रजाति के फूल वाले छायादार वृक्ष लम्बी दूरी तक लगाये जायेंगे ताकि शहर से निकलने एवं शहर में प्रवेश के दौरान देखने में अच्छा लगे।
- पौधों के बीच की दूरी तीन मीटर से कम नहीं रखी जायगी।
- यह प्रयास किया जायगा कि न्यूनतम 40 प्रतिशत वृक्ष प्रजाति लम्बी आयु के जैव विविधता संरक्षण वाले हों।

11. <u>योजना निर्माण एवं प्रजाति निर्धारण</u>:–

1. योजना का निर्माण वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् किया जायगा। लक्ष्य यह होगा कि योजान्तर्गत सभी शहरों की खाली भूमि को वृक्षों से सेचुरेट किया जाय।
2. स्थल विशेष पर पौधारोपण की सफलता के उद्देश्य से स्थल की आवश्यकता के अनुरूप योजना में प्रावधान किए जायेंगे।
3. पौधों की प्रजाति का चयन स्थल का साईज, जलवायु एवं स्थल की आवश्यकता को देखकर ही कंडिका–10 की सूची से किया जायगा।
4. रोपण वाले पौधों की लम्बाई न्यून्तम 4 फीट एवं उम्र एक से दो वर्ष के बीच तथा पौधों का स्वस्थ होना अनिवार्य होगा।

12. <u>पौधारोपण तकनीक में परिवर्त्तन</u>:– प्रायः यह देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य इस प्रकार किये गये हैं कि सड़क किनारे पौधारोपण हेतु जगह उपलब्ध नहीं है अथवा सड़क बनाने के क्रम में तीन–चार लेयर कंक्रीट एवं कोलतार के हो गये हैं जहॉ सामान्य रूप से पौधारोपण हेतु पीट खोदा

जाना संभव नहीं है। इन जगहों पर 2 फीट ब्यास का ड्रील जमीन मिलने तक की गहराई तक खोद कर उसमें मिट्टी, बालू, गोबर, वर्मी कम्पोस्ट आदि सामग्री का मिश्रण भरकर पौधारोपण करने की आवश्यकता होगी। अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से पूर्व प्रचलित पद्धति से पौधारोपण किया जायगा। सड़कों के बीच मिडियन में पौधारोपण के समय मिट्टी की गहराई देकर छोटे पौधे लगाये जायेंगे।

सड़कों के किनारे राइट ऑफ वे के बाहर ही वृक्षारोपण किया जायगा। सड़क की जमीन जहॉ तक है वहॉ बाहर से भीतर की ओर वृक्ष लगाये जायेंगे।

13. <u>पौधारोपण हेतु आवश्यक सामग्री एवं पीट का मापदंड निम्नवत् होगा:–</u>

पीट का माप–45X45X45 सेंटीमीटर (7 फीट लम्बाई से कम के पौधों के लिए)
60X60X60 सेंटीमीटर (7 फीट से बड़े पौधों के लिए)
वर्मी कम्पोस्ट–2 कि.ग्रा मिट्टी के साथ का मिश्रण।
डी.ए.पी खाद – 10 ग्राम
कीटनाशक दवा– 7 ग्राम
(दो बार)

गोबर–मिट्टी के मिश्रण में दिया जायगा।

14. <u>पौधों की सुरक्षा व्यवस्था:–</u>

पौधारोपण की सुरक्षा के लिए निम्नवत् प्रकार से सुरक्षा घेरान किया जायगा:–

(क) बॉस गैबियन – 4 खूंटा वाला, जमीन के उपर छः फीट तथा जमीन के नीचे डेढ़ फीट तक मजबूती से गाड़ा जायगा।

(ख) लौह गैबियन – वर्गाकार लौह गैबियन, जमीन के उपर 6 फीट, जमीन के नीचे एक फीट कंक्रीट के साथ स्थापित किया जायगा।

(ग) तार का जाली/ नायलोन जाली – शहरों के अन्दर आवश्यकतानुसार बड़ी लम्बाई हेाने पर।

(घ) बॉस की अधिकता वाले वन प्रमंडलों में बड़े ब्लॉक वृक्षारोपण एवं रैखिक रोपण के घेरान में बॉस की टट्टी या जालीदार घेरान का उपयोग किया जायगा।

(ड) आगम निर्गम पथ (जहॉ दबाव कम है) – पीट– माउंड वृक्षारोपण किया जायगा। मुख्य पौधा के चारो ओर कंटीले प्रजाति के बीज या छोटे पौधे लगायें जायेंगे। जहॉ जलजमाव नहीं है, वहॉ सड़क किनारे पीट वृक्षारोपण किया जायगा।

(च) पौधारोपण के पूर्व से ही सुरक्षा घेरान की व्यवस्था करके रखी जायगी। पौधारोपण के दिन या अधिकतम दो दिन के अन्दर रोपित पौधों को सुरक्षा घेरान के

अन्दर लाया जायगा। इस बीच रोपित पौधों की सुरक्षा एवं सिंचाई की विशेष व्यवस्था की जायगी।

15. पटवन/ सिंचाई व्यवस्था।

- शहरी वानिकी योजनान्तर्गत चारों कार्यक्रम के तहत लगाये गये पौधों की सिंचाई अनिवार्य रूप से की जायगी।
- सामान्य स्थिति में पटवन मार्च से जुलाई तक (वर्षा आने के पूर्व) चार/ पॉच महीने किये जायेंगे। प्रति सप्ताह सभी पौधों में पानी दिये जायेंगे। सुखाड़ की स्थिति में दिसम्बर से ही सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होगी।
- पूर्व के वर्षों में लगाये गये पौधों में भी आवश्यकतानुसार सिंचाई व्यवस्था की जायगी।
- इसके लिए जिन वन प्रमंडलों के पास ट्रैक्टर–टैंकर नहीं है वे अधीनस्थ जिलों एवं बड़े शहरों यथा नगर परिषद् स्तर तक के लिए अलग–अलग एक ट्रैक्टर एवं टैंकर क्रय करने का योजना में प्रावधान करेंगे।

16. शहरी क्षेत्रों को सेक्टर में बॉट कर शहरी वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण करने, गैबियन लगाने, पटवन कराने, मृत पौधों का बदलाव करने, गैबियन मरम्मती करने आदि सभी सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए सेक्टरवार 4–5 व्यक्तियों की टीम बनाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जायगा। इस टीम को वाहन एवं अन्य संबंधित उपकरण तथा सामग्री से लैश कर इस कार्य के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायगा और उनके कार्यों का अनुश्रवण भी समय–समय पर किया जायगा।

17. विगत वर्षों के वृक्षारोपण स्थलों पर कार्य

- जो स्थल सम्पोषण अन्तर्गत हैं, और अगर पौधों को बचाकर वृक्ष का स्वरूप दिया जा सकता है तो इसका आकलन कर इस दिशानिर्देश के तहत अनुपूरक योजना दी जायगी।
- सभी सुरक्षात्मक उपाय कर शहरी वानिकी के विभिन्न अवयवों के वृक्षारोपण की सफलता को सुनिश्चित किया जाना प्राथमिकता होगी।

18. पुराने गैबियनों की मरम्मती/ रंगाई।

- योजनान्तर्गत लगाये गये बॉस तथा लौह गैबियन/ अन्य सुरक्षा उपाय में द्वितीय वर्ष तक मरम्मती/ रंगाई का प्रावधान पूर्व से है। इसका अनुपालन किया जायगा।

- शहरी क्षेत्रों में टेढ़े–मेढ़े गिरे–पड रग उड़े हुए, टूटे हुए गैबियन को ठीक किया जायगा।

- पुराने लौह गैबियन जिनमें तीन वर्षों के बाद भी पौधे स्थापित नहीं हुए हैं, पौधे 10 फीट के हो गये हैं, अथवा गोलाई (छाती उँचाई पर) एक फीट हो गया हो – को उखाड़कर मरम्मती एवं रंगाई कर पुनः शहरी वानिकी योजना में उपयोग किया जायगा। इसके लिए विभागीय SOR में पूर्व से दर अंकित है।

19. सम्पोषण अवधि।

सभी स्थलों पर पौधारोपण के उपरांत तीन वर्षों तक रख–रखाव एवं सम्पोषण का कार्य किया जायगा ताकि पौधा चराई की ऊँचाई 10 फीट से बड़े हो सके एवं भविष्य में वृक्ष का स्वरूप प्राप्त कर सकें।

20. अनुश्रवण एवं निरीक्षण।

- योजना की सफलता एवं कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य है।

- क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम एक बार सभी स्थलों का निरीक्षण कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन दिया जायगा।

- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भी समय–समय पर शहरी क्षेत्रों में अवस्थित वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण कर इसकी सफलता के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जायगी। वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के साथ मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी अपने भ्रमण–निरीक्षण के दौरान शहरी क्षेत्र के वृक्षारोपण का भी निरीक्षण करेंगे।

- सारे उपाय होने के उपरांत प्रथम वर्ष के उपरांत 80%, द्वितीय वर्ष 70% एवं तृतीय वर्ष में 60% से कम उत्तरजीविता होने पर क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी को इसके लिए जिम्मेवार माना जायगा।

(दीपक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार।

ज्ञापांक–पर्या० / वन–33/19 835(ई)/ प०व०, दिनांक– 09/07/19

प्रतिलिपिः

1. माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव।
2. प्रघान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार पटना।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षक), बिहार।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार बिहार।
7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर।
8. निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना।
9. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।
10. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना।
11. मुख्य वन संरक्षक (आई टी), बिहार, पटना।
12. मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना।
13. सभी वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी ।
14. प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, सरकार

ज्ञापांक–पर्या० / वन–33/19 839(ई)/प०व०,   दिनांक– 09/07/19

प्रतिलिपिः

1. माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार पटना।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षक), बिहार।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार बिहार।
7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/ मुजफ्फरपुर / भागलपुर।
8. निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना।
9. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।
10. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना।
11. मुख्य वन संरक्षक (आई टी), बिहार, पटना।
12. मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना।
13. सभी वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी ।
14. प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/07/19

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, सरकार

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक - पर्या/वन - 33/2019 836(ई)/प०व०, पटना-15, दिनांक - 09/07/19

प्रतिलिपि - आई॰ टी॰ मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.7.19

(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव